

प्रेषक,

दमयन्ती दोहरे,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

पंचायतीराज अनुभाग-1

देहरादून

दिनांक: 25 जुलाई, 2016

विषय: राज्य वित्त आयोग की भांति क्षेत्र पंचायत निधि के अधीन प्राप्त होने वाली धनराशि (क्षेत्र पंचायत निधि) के आहरण एवं वितरण सम्बन्धी अधिकारों का प्रतिनिधायन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पंचायती राज अनुभाग-1 के कार्यवृत्त संख्या-2344/XII(1)/2016-86(42)/2014.T.C-1 दिनांक 13.07.2016 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को राज्य वित्त आयोग की भांति क्षेत्र पंचायत निधि के अधीन प्राप्त होने वाली धनराशि (क्षेत्र पंचायत निधि) का खण्ड विकास अधिकारी एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरण एवं वितरण किया जायेगा।

2- कृपया उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(दमयन्ती दोहरे)  
सचिव।

संख्या: 2421/ XII(1)/2016-86(31)/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाईल।

निदेशक

पंचायतीराज

उत्तराखण्ड, देहरादून

27/7/2016

संयुक्त निदेशक

निदेशालय पंचायतीराज

उत्तराखण्ड, देहरादून

28/7/16

28/7/16

आज्ञा से,

(जे०एल० शर्मा)  
उप सचिव।